(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी संख्या 174 नई दिल्ली 30 अगस्त, 2007

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पोतों और अन्य पोतों के प्रहस्तन के लिए तैनात मेरीन अधिकारियों के शुल्क में वृद्धि करने हेतु विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) के प्रस्ताव का निपटान करता है।

(अ0ल0 बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं0 टीएएमपी/20/2007-वीपीटी

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) ....आवेदक

आदेश

(अगस्त, 2007 के 7वें दिन पारित)

यह मामला मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पोतों और अन्य पोतों के प्रहस्तन के लिए तैनात मेरीन अधिकारियों के शुल्क में उर्ध्वगामी वृद्धि करने हेतु विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 वीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख किया है :-

(i) मेरीन अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) और कुछ अन्य प्रयोक्ताओं के पोतों के संचलन हेतु यदा-कदा किया जाता है।

(ii) मेरीन अधिकारियों की सेवाओं के लिए फर्म अपना मांग-पत्र प्रस्तुत करती हैं। सेवाओं के लिए प्रभारों की कटौती फर्म के चालू खाते से की जाती है और संचलन कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है।

(iii) ड्यूटी नहीं कर रहे अतिरिक्त अधिकारियों/मास्टरों की सेवाओं का कभी-कभी नए निर्मित पोतों के "परीक्षण चालन" अथवा एचएसएल क्षेत्र में सामान्य आकार से बड़े पोतों के प्रहस्तन के लिए पोतों की शिफ्टिंग, अधिक बड़े ड्राफ्ट वाले पोतों के मामले में ड्राफ्ट की जांच करने, कोल्ड मूव वाले पोतों, एलपीजी, अमोनिया, जैसे खतरनाक कार्गो के मामले में वैकल्पिक पायलट, बार्ज संचलन, ड्रेजर संचलन इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। सुरक्षा कारणों से कई बार पोत के मार्ग-दर्शन हेतु दो पायलटों की सेवाएं ली जाती हैं।

(iv) प्रचलित पद्धति के अनुसार, अतिरिक्त अधिकारियों/मास्टरों का पारिश्रमिक प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित किया जाता है। अतिरिक्त अधिकारियों और मास्टर के लिए क्रमशः 900/-रुपए और 2250/-रुपए का वर्तमान शुल्क अध्यक्ष (वीपीटी) की मंजूरी से 20 जुलाई, 2000 से लागू है।

(v) मेरीन अधिकारियों के लिए मौजूदा शुल्क के संशोधन हेतु प्रस्ताव एचएसएल की सहमति के बिना इसके दरों के मान के व्यापक संशोधन के दौरान शामिल नहीं किया जा सका था।

संशोधित प्रस्तावित दरों के बारे में एचएसएल से बातचीत की गई है और एचएसएल उस पर सहमत है। इसने प्रस्तावित प्रशुल्क पर सहमति देने से संबंधित एचएसएल का दिनांक 13 मार्च, 2007 का पत्र अग्रेषित किया है।

(vi) एचएसएल द्वारा सहमत दर को अन्य व्यापार/पत्तन प्रयोक्ताओं के साथ-साथ प्रचलित पद्धति के अनुसार मेरीन अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करने वालों पर भी लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

2.2 प्रस्तावित शुल्क के साथ-साथ वीपीटी द्वारा वसूल की जाने वाली सूचित मौजूदा दरें नीचे तालिका में दी गई हैं :-

विवरण	इकाई	मौजूदा दर	प्रस्तावित दर
अतिरिक्त अधिकारियों के लिए शुल्क	प्रति व्यक्ति प्रति संचलन	900/-रुपए	1350/-रुपए
मास्टरों के लिए शुल्क	प्रति शिफ्ट प्रति पोत	2250/-रुपए	3375/-रुपए

3.1 निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी का प्रस्ताव हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था।

3.2 एचएसएल ने वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को स्वीकार करने की सूचना भेज दी है। किसी अन्य प्रयोक्ता संगठन ने कोई लिखित विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं।

4. वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और वीपीटी द्वारा प्रस्तुत उत्तरों का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है :-

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न</th><th>वीपीटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>वीपीटी के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त अधिकारियों/मास्टरों के लिए शुल्क की पत्तन द्वारा वसूली अध्यक्ष (वीपीटी) की मंजूरी के आधार पर वर्ष 2000 से की जा रही है। इस प्राधिकरण द्वारा मई, 2006 में अनुमोदित दरों के मान और वर्ष 2001 के पूर्व-संशोधित दरों के मान में इन सेवाओं के लिए कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। कृपया, स्पष्ट करें कि पत्तन द्वारा वर्ष 2000 से किस प्रशुल्क संरचना व्यवस्था के अधीन यह शुल्क वसूल किया जा रहा था।</td><td>एचएसएल द्वारा प्रशासन के अनुमोदन से उनकी सरकारी ड्यूटी में बिना किसी बाधा के पोतों के डॉकिंग और अनडॉकिंग कार्यों हेतु मेरीन अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। एलपीजी और अन्य जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये सेवाएं एचपीसीएल और अन्य अभिकरणों को भी प्रदान की गई थीं। अतिरिक्त अधिकारियों और मेरीन अधिकारियों के शुल्क मैसर्स एचएसएल/अन्य अभिकरणों के साथ परस्पर सहमति से पांच/छह वर्षों में संशोधित किए जाते रहे थे और अध्यक्ष (वीपीटी) द्वारा अनुमोदित किए जाते रहे हैं। चूंकि, ये प्रभार ड्यूटी न कर रहे मेरीन अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए वसूल किए जा रहे हैं और इनका भुगतान उन अधिकारियों को कर दिया जाएगा तथा वीपीटी ऐसे प्रभारों का लाभग्राही नहीं है।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>(क) कृपया, मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) और अन्य पोतों से इस शुल्क की वसूली से वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के लिए वीपीटी द्वारा अर्जित आय का उल्लेख करें।</td><td>(क) इसने वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के लिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं। विगत चार वर्षों की सारांश स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :-
रुपए
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">मैसर्स एचएसएल से</th><th rowspan="2">अन्य से</th></tr>
<tr><th>अतिरिक्त अधिकारी</th><th>मास्टर</th></tr>
<tr><td>2003-04</td><td>1912500</td><td>92250</td><td>12600</td></tr>
<tr><td>2004-05</td><td>2513700</td><td>258750</td><td>22500</td></tr>
<tr><td>2005-06</td><td>2655000</td><td>339750</td><td>88200</td></tr>
<tr><td>2006-07</td><td>4371300</td><td>468000</td><td>10080</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) वर्ष 1999-2000 से 2006-07 में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेरीन अधिकारियों की सेवाएं लेने के अवसरों की संख्या प्रस्तुत करें।</td><td>(ख) इसने अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं। वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान मैसर्स एचएसएल द्वारा अतिरिक्त अधिकारियों की सेवा लेने के अवसरों की संख्या 2125 से 4857 के बीच है, मास्टरों की सेवाओं के अवसरों की संख्या 41 से 208 बार है। अन्य पोतों ने तदनुरूपी अवधि के दौरान अतिरिक्त अधिकारियों की सेवाएं 14 से 112 बार प्राप्त की हैं।</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>कृपया, मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि0 (एचएसएल) के पोतों और अन्य पोतों से इस शुल्क की वसूली से गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित आय का उल्लेख करें। यह भी स्पष्ट करें कि एचएसएल पोतों से भिन्न अन्य पोतों के मामले में अन्य स्रोतों से यह सेवा प्राप्त करने के लिए क्या कोई अन्य व्यवस्था है।</td><td>ये दरें केवल अध्यक्ष (वीपीटी) द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और इस प्रकार एकत्रित शुल्क का ड्यूटी न कर रहे ऐसे संचलन कार्य करने वाले मेरीन अधिकारियों को भुगतान किया जाता है। ये सेवाएं प्राप्त करने के लिए एचएसएल पोतों से भिन्न अन्य पोतों के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।</td></tr>
</table>

5. इस मामले में, एक संयुक्त सुनवाई दिनांक 12 जून, 2007 को विशाखापट्टनम पत्तन न्यास के परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में वीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए थे।

6.1 संयुक्त सुनवाई में किए गए निर्णयानुसार विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) को निम्नलिखित मुद्दों पर और सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था :-

(i) विस्तारपूर्वक जांच करें और अपने विचार सूचित करें कि ड्यूटी पर न रहने के दौरान तैनात किए गए पायलटों के लिए प्रस्तावित प्रभार संबंधी विषय प्रशुल्क की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जोकि इस प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना होता है।

(ii) उन कारणों को स्पष्ट करें कि ड्यूटी पर न रहने के दौरान यदि पायलटों द्वारा निजी तौर पर यह कार्य किया जाता है, तो वीपीटी द्वारा ऐसा प्रभार क्यों वसूल किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट करें कि क्या ऐसी तैनाती लागू सेवा विनियमों द्वारा अनुमत्य है।

(iii) वीपीटी के दरों के मान में पायलिटिज शुल्क और शिफ्टिंग प्रभारों की वसूली निर्धारित की गई है। यह प्रभार अपेक्षित सेवाओं के लिए हैं, जोकि पत्तन न्यास द्वारा प्रदान की जाती है। प्रयोक्ता का ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए पत्तन न्यास द्वारा विनियोजित संसाधनों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रसंग में, कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या पोतों के प्रहस्तन के लिए अतिरिक्त मेरीन अधिकारियों की तैनाती हेतु प्रस्तावित प्रभार निर्धारित पायलिटिज़ शुल्क/शिफ्टिंग प्रभारों के अतिरिक्त वसूल किए जाते हैं। यदि हां, कारण स्पष्ट करें कि अतिरिक्त पायलिटिज़ प्रभार अलग से क्यों वसूल किए जाने चाहिए।

6.2 वीपीटी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सूचना का सारांश नीचे दिया गया है :-

(i) पत्तन का विचार है कि यह विषय प्रशुल्क की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जोकि इस प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। मई 2006 में वीपीटी के दरों के मान के पिछले संशोधन में टीएएमपी ने अनुसूची 5.3 में मद संख्या (iii) के अनुसार 900/-रुपए प्रति व्यक्ति प्रति संचलन की दर पर पायलट शुल्क (अतिरिक्त अधिकारी) का अनुमोदन किया है। यह प्रशुल्क मेरीन अधिकारियों की तैनाती के लिए है, जिनकी नीचे मद संख्या (iii) में उल्लिखित किस्म के प्रचालनों के लिए व्यापार जगत द्वारा विशेष रूप से मांग की जाती है। इस मौजूदा प्रशुल्क मद को हटाया जाना है, यदि टीएएमपी यह निर्णय करता है कि पायलट शुल्क (अतिरिक्त अधिकारी शुल्क) का भुगतान उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

(ii) यद्यपि, यह कार्य मेरीन अधिकारियों द्वारा उनके ड्यूटी पर न रहने के दौरान किया जाता है और यह कार्य निजी तौर पर नहीं किया जाता है। इस व्यवस्था द्वारा पत्तन और व्यापारी समुदाय, दोनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरीन अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रभारों को व्यक्तिगत तौर पर वसूल किया जाना संभव और व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, पत्तन इन प्रभारों की मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और व्यापार जगत से लम्बे समय से वसूली कर रहा है तथा आयकर काटने और एक-तिहाई शुल्क काटने, जोकि सेवा-विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार पत्तन निधि में जमा किया जाता है, के पश्चात मेरीन अधिकारियों को भुगतान किया जाता है।

(iii) किसी अतिरिक्त पॉयलिटिज़/शिफ्टिंग प्रभार की वसूली नहीं की जा रही है। प्रस्तावित प्रभार अतिरिक्त मेरीन अधिकारी प्रदान करने के लिए है, जब भी, सुरक्षा कारणों, जहाज में खराबी, बड़े आकार वाले पोतों, अधिक ड्राफ्ट वाले पोतों, ड्रिलिंग रिग्ज़ जैसे अपारम्परिक पोतों, जिनका उनके आकार और प्रकार के कारण सामान्यतया एक पायलट द्वारा प्रहस्तन नहीं किया जा सकता, एलपीजी, अमोनिया, नेप्था जैसे खतरनाक कार्गो का प्रहस्तन करने वाले जहाजों के लिए वैकल्पिक पॉयलट की ऐसी सेवाओं के लिए किसी आकस्मिक स्थिति के लिए नौतल पर पॉयलट अधिकारी रखना आवश्यक है।

7. इस मामले में परामर्श से जुड़ी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों तथा संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का उद्धरण संगत पक्षकारों को पृथक रूप से भेजा जाएगा। ये ब्यौरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. इस मामले पर कार्यवाही के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है :-

(i) वीपीटी का प्रस्ताव किन्हीं विशेष कार्यों को करने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और अन्य पोतों द्वारा ड्यूटी पर न रहने के दौरान मेरीन अधिकारियों की तैनाती के लिए पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के आधार पर जुलाई, 2000 से पत्तन द्वारा वसूल किए गए प्रभारों में वृद्धि करना और उन्हें विनियमित करना है।

(ii) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धाराओं 48,49 और 50 में सूचीबद्ध सेवाओं के संदर्भ में भारत के प्रमुख पत्तनों द्वारा वसूल किए जाने वाला प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित होता है।

पत्तन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दर्शाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत पॉयलट/मेरीन अधिकारियों की सेवाएं वीपीटी द्वारा एचएसएल पोतों और अन्य पोतों को सीधे प्रदान नहीं की जाती हैं। यह अपने मेरीन अधिकारियों/अतिरिक्त अधिकारियों को अन्यों के लिए कोई कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, जब वे ड्यूटी पर नहीं होते हैं।

वीपीटी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दर्शाता है कि संबंधित कार्यकलाप पत्तन सेवा से संबंधित नहीं है, जिसके लिए इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क विनियमित किया जाना हो। कुल मिलाकर यह एक सेवा संबंधी मामला है, जिसे मौजूदा नियमों के अनुसार पत्तन द्वारा प्रशासित किया जाना है। यह उल्लेखनीय है कि वीपीटी ने भी इस स्थिति को बाद में महसूस किया है और सूचित किया है कि शुल्क की वसूली संबंधी यह विषय इस प्राधिकरण के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा।

(iii) वीपीटी के पिछले प्रशुल्क संशोधन में इस प्राधिकरण ने इसी प्रकार के कार्य के लिए व्यापार जगत द्वारा मांग किए जाने पर अधिकारियों की तैनाती हेतु 900/-रुपए प्रति व्यक्ति प्रति संचलन के पॉयलिटिज़ शुल्क का अनुमोदन किया है। वीपीटी द्वारा वर्तमानतः मास्टरों और अतिरिक्त अधिकारियों के लिए वसूल किए जा रहे शुल्क का इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है।

इस प्रशुल्क मद के संबंध में वीपीटी द्वारा प्रस्तुत यह प्रसंग बर्थों के निर्माण के लिए निष्कर्षण प्रचालन करने हेतु निजी बीओटी प्रचालक विज़ाग सीपोर्ट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई पॉयलट सेवाओं के लिए अलग पॉयलट शुल्क की वसूली हेतु वीपीटी के प्रस्ताव के संदर्भ में दिनांक 3 फरवरी, 2005 को अधिसूचित आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन से उत्पन्न होता है। प्रशुल्क अनुमोदित करते समय इस प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि ऐसा प्रशुल्क केवल वीएसएल के आवेदन को स्वीकार करने की बजाय इसी प्रकार के मामलों में लागू किया जा सकता है।

यह प्रशुल्क मद वीपीटी के पिछले प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव में जारी रही और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरों के मान में भी जारी रही। न तो इस प्रशुल्क मद का प्रारंभ में अनुमोदन करते समय और न ही पिछले प्रशुल्क संशोधन के समय वीपीटी ने इस समय उपस्थित स्थिति का इस प्राधिकरण के सामने उल्लेख किया था।

संदर्भाधीन प्रस्ताव में वीपीटी द्वार प्रस्तुत स्पष्टीकरण के मद्देनज़र दरों के मान में निर्धारित 900/-रुपए प्रति व्यक्ति प्रति संचलन ओवर-टाइम के दौरान तैनात अतिरिक्त पॉयलट अधिकारियों के संदर्भ में लागू किया जाता है और वीपीटी के दरों के मान की अनुसूची 5.3 में मौजूदा प्रविष्टि को हटाया जाता है। प्रसंगवश, वीपीटी ने भी यह स्वीकार किया है कि इस प्रशुल्क मद को हटा दिया जाए, यदि यह प्राधिकरण संदर्भाधीन प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करता है।

(iv) ऊपर वर्णित स्थिति को देखते हुए इस बात पर जोर दिया जाता है कि पत्तन ने अनुमोदित पायलिटिज़ शुल्क/शिफ्टिंग प्रभारों की वसूली के बदले में सभी आवश्यक संसाधनों सहित पायलिटिज़/शिफ्टिंग सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। ऐसे मामलों में, कोई अतिरिक्त व्यक्ति अथवा यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं किए जा सकते।

9.1 परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों तथा समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर वीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव वापस भेजा जाता है।

9.2 वीपीटी के मौजूदा दरों के मान में खण्ड 5 के अंतर्गत अनुसूची 5.3 में मद संख्या 3 के रूप में निर्धारित 900/-रुपए प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति संचलन के पायलट शुल्क को हटाया जाता है।

(अ0ल0 बोंगिरवार)
अध्यक्ष